



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001



दूरभाष स. 0294-2421255, 2420013,
क्रमांक:- राजस्व/2024-25/50

Helpline no. 0294-2426262

वेबसाइट- www.udaipurmc.org

दिनांक:- 25/09/24

निविदा सूचना 2024-25

नगर निगम, उदयपुर द्वारा इच्छुक संस्था/फर्म/एजेन्सी के लिये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 अन्तर्गत जब्त सामग्री स्क्रेप/कबाड (अनुपयोगी सामग्री) की निलामी हेतु सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की प्रारम्भ तिथि 26/09/24 अन्तिम तिथि 04/10/24 तथा खोलने की तिथि 07/10/24 है। विस्तृत विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम की वेबसाइट www.udaipurmc.org पर उपलब्ध है।

UBN No → 2425WS0300096

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपि :-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, परिसर शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार में कराने का श्रम करावें।
2. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत को प्रेषित कर लेख है कि नगर निगम की वेबसाइट पर उक्त निविदा अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय नगर निगम, उदयपुर।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Raj. Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2024.09.24 13:27:44 IST
Reason: Approved





कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001



दूरभाष स. 0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट- www.udaipurmc.org

क्रमांक:- राजस्व/2024-25/ 50

दिनांक:- 25/09/24

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम, उदयपुर द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अन्तर्गत जब्त सामग्री कबाड/स्क्रेप (अनुपयोगी सामग्री) की निलामी हेतु सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं	सामग्री विवरण	प्रारम्भिक बोली राशि(रु.)	निविदा प्रपत्र शुल्क (नोन रिफण्डेबल)	बोली प्रतिभूति राशि
1	नगर निगम कार्यालय के पीछे स्मार्ट सिटी ऑफिस के सामने एवं मीरा कला मन्दिर पर पड़े लॉट/ढेर	6,85,000 + 1,23,300(GST) कुल 8,08,300/- रुपये	1000+180(GST)=1180/-	16,166/-

अतः निगम निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान में जब्त कबाड/स्क्रेप (अनुपयोगी सामग्री) सामग्री क्रय करने हेतु इच्छुक संस्था/फर्म/एजेन्सी के लिये निविदा प्रपत्र शुल्क 1180/- रुपये में नगर निगम कार्यालय अथवा <https://sppp.rajasthan.gov.in> एवं www.udaipurmc.org से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क 1180/- रुपये का डीडी आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा विक्रय दिनांक 26/09/24 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 05/10/24 को सायं 05:00 बजे तक रहेगा। बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम उदयपुर के नाम संलग्न करना होगा।

निविदा दिनांक 07/10/24 को दोपहर 01:00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 07/10/24 को सायं 04:00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्तें व अन्य जानकारी निगम की राजस्व शाखा में कार्यालय समय में देखी जा सकती है, जो निविदादाता को मान्य होगी। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2024.09.24 18:27:44 IST
Reason: Approved

नगर निगम, उदयपुर द्वारा "अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जब्त स्क्रेप/कबाड (अनुपयोगी सामग्री)" की निलामी हेतु शर्तें

1. निगम द्वारा दर्शाई गई प्रारंभिक बोली राशि सांकेतिक है उपयुक्त पाए जाने पर अधिकतम दर देने वाले बिडर की दर अनुमोदित की जाएगी।
2. यदि किसी निविदा को निविदा अनुसूची के विहित फर्म/प्रपत्र में प्रस्तुत/जमा नहीं किया जाता है तो उक्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाकार का हस्ताक्षर, पूरा पता तथा टेलीफोन नं. विनिर्दिष्ट स्थान पर अवश्य अंकित होना चाहिए। निविदाकार द्वारा निविदा प्रारूप के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करें।
3. निविदादाताओं को उपलब्ध स्क्रेप (अनुपयोगी) का निर्धारित स्थान पर लॉट/ढेर का निविदा में भाग लेने से पूर्व भली-भांति अवलोकन, निरीक्षण कर लें।
4. निविदाकारों द्वारा अपनी बोली/दरों को अंको के साथ-साथ शब्दों में भी अंकित करें। अंको व शब्दों में दर्शाई गई दरों में यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो शब्दों में अंकित दरों को ही सही माना जाएगा।
5. निविदाकारों प्रतिभूति राशि को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत करें, जो आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के नाम से देय होगा।
6. प्रतिभूति जमा राशि के बिना प्राप्त हुई निविदाओं को सीधे ही अस्वीकार/खारिज कर दिया जाएगा।
7. निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने पर असफल निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति राशि को यथोचित समय पर लौटा दिया जाएगा। सफल निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा/राशि को प्राप्त निलामी राशि में समायोजित किया जा सकेगा।
8. सफल निविदादाता को निविदा की सम्पूर्ण राशि 3 दिवस के भीतर जमा करवानी होगी। सफल बिडर की प्रतिभूति जमा राशि समायोजित किया जा सकेगा। सम्पूर्ण निविदा राशि जमा होने के उपरान्त कार्यादेश जारी किया जायेगा।
9. कार्यादेश जारी होने के पश्चात 3 दिवस के भीतर जिस स्थिति में सामग्री उपलब्ध है उसी स्थिति में अनुपयोगी सामग्री (स्क्रेप का लॉट/ढेर) प्राप्त करनी होगी।
10. कबाड/स्क्रेप सामग्री के लॉट/ढेर नगर निगम, उदयपुर के राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के अधीन होंगे। ऐसे अधिकारियों को अधिकार/शक्ति प्राप्त होगा कि वे सफल निविदादाता क्रेता को डिलिवरी दिये जाने के समय उक्त बिकी हुई सामग्री में से ऐसी किसी भी सामग्री को हटा सकेंगे जो उनके विचार में नगर निगम हीत में उपयोगी हों।
11. निविदा में विनिर्दिष्ट सामग्री मात्रा लगभग/सन्निकट है। नगर निगम, उदयपुर उक्त सामग्री/सामग्रियों की मात्राओं से सम्बद्ध विवरण या दशा या अवयव से संबंधित किसी त्रुटि के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की भिन्नता हेतु कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। किसी भी दशा में निविदाकारों को पृथक्करण अथवा सोच विचार के चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निविदादाता स्वयं के स्तर पर निरीक्षण कर अपनी दरे प्रस्तुत करें।
12. सफल निविदा दाता को निर्धारित समयावधि में निर्धारित स्थान से सामग्री प्राप्त करनी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Ravi Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2024.09.24 18:27:44 IST
Reason: Approved

13. स्क्रेप/कबाड सामग्री की लोडिंग, अनलोडिंग लेबर एवं परिवहन सम्बंधित व्यवस्था निविदा दाता स्वयं की होगी तथा सामग्री पैकिंग, उठाने या अन्य कोई सहायता नगर निगम, उदयपुर द्वारा नहीं करवायी जायेगी।
14. यदि निविदाकार अनुज्ञा अवधि के भीतर अनुपयोगी कबाड़/स्क्रेप सामग्री निगम परिसर से नहीं हटा पाता है तो निविदाकार से लॉट/लाटों अथवा लॉट/लाटों के किसी भाग के मूल्य पर तथा साइट जहां सामग्री संग्रहीत के अनुसार है। 1000/- रुपये प्रति दिवस की दर से भू-कर/किराया लिया जाएगा। कबाड़/स्क्रेप सामग्री के संस्थान परिसर से अपनयन के लंबित रहने की स्थिति में किसी भी सामग्री हेतु नगर निगम, उदयपुर का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। यदि उक्त सामग्री या उसके किसी भाग का अपनयन संस्थान द्वारा विक्रय आदेश निर्गत/जारी होने के बाद से 25 दिनों से अधिक अवधि तक लंबित रहता है तो उक्त विक्रय को रद्द कर दिया जाएगा तथा सामग्री को सफल निविदा दाता क्रेता को बिना कोई पूर्व सूचना दिये उपापन समिति की अनुशंसा अनुसार आयुक्त महोदय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।
15. निगम द्वारा मांग पत्र जारी होने के पश्चात यदि सफल निविदादाता द्वारा मांग राशि जमा नहीं करवायी जाती है तो बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर अधिकतम 3 वर्षों के लिए निगम की समस्त निविदाओं से विवर्जित (Debarred) किया जा सकेगा जिसका अन्तिम निर्णय आयुक्त/महापौर नगर निगम, उदयपुर द्वारा किया जावेगा जो सफल बिडर को स्वीकार करना होगा।
16. क्रेता को विक्रय आदेश निर्गत/जारी करने की तिथि के पश्चात सामग्री में होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन अथवा अपकर्ष के कारण अथवा अन्य किसी कारण से होने वाली हानि हेतु नगर निगम, उदयपुर किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगा। क्रेता को विक्रय किए गए/आवंटित किसी सामग्री अथवा सामग्रियों के स्टोक के कारण होने वाली किसी आग की घटना/दुर्घटना/विस्फोट आदि के लिए क्रेता ही उत्तरदायी होगा/क्रेता को उत्तरदायित्व लेना होगा।
17. यदि किसी भी परिस्थिति में क्रेता उक्त विक्रय को या उसके किसी भाग को या उससे जुड़े किसी हित को साझा करने हेतु किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को नियुक्त अथवा हस्तांतरित अथवा उनके अधीन नहीं करेगा और किसी भी अन्य पार्टी को उक्त कार्य के प्रबंधन या निष्पादन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा।
18. नगर निगम, उदयपुर को बिना कोई कारण बताये सुचित किये बिना निविदा कार्यादेश रद्द करने का अधिकार आयुक्त, महापौर में निहित होगा।
19. विक्रय की अवधि में जिन वस्तुओं/सामग्रियों हेतु क्रेता की निविदा स्वीकृत की गयी है, उसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर उपलब्ध वस्तुओं/सामग्रियों पर क्रेता को कोई भी दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
20. इस विक्रय के निष्पादन/कार्यान्वयन के दौरान यदि विक्रय की जाने वाली वस्तुओं/सामग्रियों से संबंधित कोई विषय पश्नगत होता है, तो आयुक्त, महापौर का निर्णय मान्य होगा।
21. सफल बिडर को दिशा निर्देशों की पालना हेतु नगर निगम के पक्ष में संविदा हेतु 500/-रुपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
22. बिडर को निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे इनके अभाव में बिडर को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा-

- पेन कार्ड।
- आधार कार्ड।
- फर्म/संस्था/कम्पनी की स्थिति में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- स्थायी निवास पता हेतु आई.डी. प्रुफ।

Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2024.09.24 12:27:44 IST
Reason: Approved

- निविदा प्रपत्र शुल्क जमा होने की रसीद या आयुक्त नगर निगम के पक्ष में डी.डी।
 - बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम के पक्ष में।
23. अधिक जानकारी वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in, www.udaipurmc.org पर या कार्य दिवस के दौरान राजस्व शाखा (कमरा नं.-71) नगर निगम, उदयपुर से प्राप्त की जा सकती है।
24. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :- (Period Of Validity Of Bid) 90 (नब्बे) दिन होगी। बोली लगाने वाले से विधिमान्यता की कालावधि विस्तार करने का अनुरोध किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति वित्तपिमज नहीं की जा सकती। (नियम 48)
25. विलम्ब से प्राप्त बोलियां :- बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।
26. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :- उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।
27. करार का निष्पादन :-
- (1) कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसको स्वीकृति पत्र (LOA) या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
 - (2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहां बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।
 - (3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
 - (4) सफल बोली लगाने वाले को उसके खर्च पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।
 - (5) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का सम्पूर्ण व्यय सफल बिडर द्वारा वहन किया जाएगा।
28. The contractor shall follow the contractor labour regulation and abolition Act 1970 & Rule1971
29. **Additional Conditions of Contract**
- Correction of arithmetical errors**
- a. Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:
 - (ii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

Signature valid

Digitally signed by Ravi Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2024.09.24 15:27:44 IST
Reason: Approved

(iii) If the Bidder that submitted the highest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

30. जुर्माना :-

(क) वितीय बोलियों के सुनने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है।

(ख) सफल बोली लगाने वाला बोली घोषित होने पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेज के निबंधनों में अपेक्षित कार्य संपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में वैध आधारों के बिना असफल रहता है तो वह बोली लगाने वाले दस्तावेजों या संविदा में अविलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो उपापन के निर्धारित मूल्य के 10 प्रतिशत जो भी कम हो तक का हो सकेगा तथा विवर्जित (Debarred) किया जावेगा। फर्म को उस तारीख जिसको वह विवर्जित (Debarred) किया गया उससे निगम की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने योग्य नहीं होगा।

31. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं पब्लिक वर्क एण्ड फाईनेन्स रूल्स ऑफ अपेनडिस्क (परिशिष्ट) XI लागू होंगे।

32. सफल बिडर के किसी व्यवहार व कृत्य की जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं है एवं सफल बिडर द्वारा रखे गये किसी भी कर्मचारी के किसी व्यवहार व भुगतान के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं है।

33. विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र उदयपुर होगा।

34. सफल बिडर की कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

35. इस निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं नेगोसियेशन करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त/महापौर नगर निगम का रहेगा।

36. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड की पात्रता की शर्तें:-

यह निविदा सील बन्द आमंत्रित की जा रही हैं पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. निविदा प्रपत्र शुल्क जमा होने की रसीद या आयुक्त नगर निगम के पक्ष में डी.डी.।
2. बोली प्रतिभूति की राशि जमा होने की रसीद या आयुक्त नगर निगम के पक्ष में डी.डी.।
3. बिडर को विज्ञापन व्यवसाय में होना आवश्यक हैं। इसकी पुष्टि हेतु विज्ञापन कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. आधार कार्ड (एकल फर्म होने पर स्वयं का भागीदार होने पर समस्त भागीदारों का तथा कम्पनी या रजिस्टर्ड संस्था होने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा।
5. निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने की सहमति स्वरूप निविदा का प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षर कर संलग्न करना। कार्य की शर्तें निविदा के साथ संलग्न हैं निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ व समझ लेंगे।
6. निविदादाता के नजदीकी रिश्तेदार (पुत्र/पुत्री/पति/पत्नि) के नगर निगम में सेवारत होने पर निविदा में भाग लेने में प्रतिबंध रहेगा।
7. इस निविदा के अन्तर्गत यदि कोई आवश्यक संशोधन हुआ तो उसे वेबसाईट <https://sppp.rajjasthan.gov.in> व www.udaipurmc.org पर प्रकाशित किया जावेगा जिसका अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
8. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सूचना गलत पाई गई तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
9. अन्य शर्तें निविदा मूल शर्तों के अधीन रहेगी।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Ravi Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2024.09.24 15:27:44 IST
Reason: Approved

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

निविदा प्रपत्र

1. कार्य का नाम — अनुपयोगी सामग्री (स्क्रैप/कबाड) की क्रय हेतु प्रस्ताव
2. निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता —
(कृपया आई.डी.प्रुफ संलग्न करें) —
- मो.नं.—
3. निविदा दाता का पेन नं. —
(प्रति संलग्न करें)
4. निविदादाता द्वारा दर एवं GST — अंकों में
समस्त करो व्यय सहित जो दी अक्षरों में
जा रही है (दर सुपाद्य व पेन से अंकित करें)

निविदादाता की घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है मैंने निविदा की समस्त शर्तों को भलीभांति पढ़ व समझ लिया है तथा मैं निर्धारित शर्तों की पालना करने व मेरे द्वारा अंकित की गई वार्षिक दर के अनुसार राशि जमा कराने पर सहमत हूँ।

हस्ताक्षर:—

नाम:—

पता:—

मो.नं.:—

Signature valid

Digitally signed by Ravi Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2024.09.24 18:27:44 IST
Reason: Approved